

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>लीलाराम बनाम हनुमान हुक्म या कार्यवाही गय लघुहस्ताक्षर जज क्र. 857/2017</p>	<p>नम्बर अहका हुक्म के में ज</p>
<p>24.08.23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादी व उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरुस्ती राजस्व रिकोर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हों।</p>	<p><i>Pashor</i> 24/08/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) टैक श्रीमाधोपुर (बीकर)</p>